न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – अरूण कुमार जैन R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :–17/2023

दायर तारीख :– 10.02.2023

1– प्रेमदेवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट निवासी गोलाडा की ढाणी मालीवाड पो. कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राजस्थान।

––––– वादीया

बनाम

1. अप्रितम कुमार पुत्र अश्वनी कुमार यादव जाति यादव निवासी प्लॉट नंबर 2, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर राज0।
2. दशरथसिह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।
3. बबीता चौधरी पत्नि सत्येन्द्रसिंह जाति जाट निवासी एन ईबी विस्तार हाउसिंग बोर्ड अलवर जिला अलवर राज0।
4. हरदयाल कंस्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्टस एल पी जरिये डेगिग्रेटिड पार्टनर अश्विनी कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर यादव निवासी प्लॉट नंबर 2, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर राज0।
5. देवन आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये संयोजक प्रमोद गोलाडा निवासी गोलाडा की ढाणी मालीवाड कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0।
6. तहसीलदारजी तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

–––प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा आराजी एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत

धारा 53 व 188 आर.टी.ऐक्ट

उपस्थितः– 1. श्री चन्दन सिंह, विद्वान अधिवक्ता वादीगण

1. श्री धीरेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2
2. श्री इलियास बाबू , विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5
3. पैरोकार सरकार

–:अंतिम डिक्रीः– दिनांक 08.06.2023

पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान 2023 के कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत कालख में पेश हुई। न्यायालय हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के अंतर्गत दिनांक 10/02/2023 को प्रस्तुत किया गया था। वादीगण/प्रतिवादीगण अधिवक्ता तथा पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अंतिम चोसाला आधार सम्वत 2075 से

8/6/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

2078 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2022) से स्थायी मे वर्णित खाता नंबर नया 384 पुराना 148 मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 97/25 रकबा 5.5638 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 कुल खसरे 1 कुल रकबा 5.5638 हैक्टेयर लगानी 8.57 वाके ग्राम कालख पटवार हल्का कालख,गि0ह0 कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादीया 4/11 हिस्से की एंव प्रतिवादी नंबर 1 अप्रितम का हिस्सा 1/8 का एंव प्रतिवादी नंबर 2 दशरथसिंह का हिस्सा 2/11, प्रतिवादी नबर 3 बबीता चौधरी का हिस्सा 2/11 प्रतिवादी नंबर 4 हरदयाल कन्सट्रक्षन 13/88 हिस्से के सयुंक्त रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड मे खातेदारी अंकित है तथा पारस्परिक सहमति से हिस्सेनुसार मौके पर पारस्परिक सहमति से मनबट अनुसार विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। राजस्व रेकार्ड मे विधिअनुसार आराजी विभाजित होकर अलहदा अलहदा खातेदारी दर्ज न होने से पक्षकारान अपने अपने हिस्से की आराजी विकसित नही कर सकते है, प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी है और वह अपने हिस्से से अधिक भूमि पर कब्जा करना चाहते है एंव अपने हिस्से की आराजी का बेचान कर मनचाहा हिस्से पर कब्जा कराना चाहते है इस गरज से दिनांक 06/02/2023 को प्रतिवादीगण अजनबियो को विवादग्रस्त आराजी पर लेकर आये ओर अपने हिस्से की आराजी बेचान कर मनचाहा हिस्से पर कब्जा कराने /निर्माण कराने एंव वादी को बेदखल करने की धमकी दी वादी ने हिस्सेनुसार तकासमा करकर अलहदा अलहदा कराने को कहा तो प्रतिवादीगण नही माने एंव इनकार हो गये। ऐसी स्थिति मे वादी के लिये यह वाद बाबत तकासमा आराजीयात एंव स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ। दिनांक 06/02/2023 को प्रतिवादीगण द्वारा वादी को उनके मौके के कब्जे काश्त उपयेाग उपभोग मे मजाहमत करने व बेदखल करने की धमकी देने, एंव अपने हिस्से की आराजी वेचान कर मनचाहा भाग पर कब्जा कराने की धमकी देने एंव मौके के कब्जेनुसार तकासमा कराने से इन्कार करने से वाके ग्राम कालख प0ह0 कालख गि0 ह0 कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर अन्दर हदूद अदालत वाला पैदा हुई दावा अन्दर मियाद है काबिले समाअत अदालत वाला हैं। प्रतिवादी नंबर 6 तहसीलदारजी तह0 जोबनेर लेण्ड होल्डर सरकार होने से तकासमा का वाद मे आवश्यक पक्षकार कायम किया गया है। अतः वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण तकासमे का प्रारंभिक डिक्री किया जाकर विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित पेरा नंबर 1 वाद पत्र खाता नंबर नया 384 पुराना 148 मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 97/25 रकबा 5.5638 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 कुल खसरे 1 कुल रकबा 5.5638 हैक्टेयर लगानी 8.57 वाके ग्राम कालख पटवार हल्का कालख,गि0ह0

3/6/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का चालु जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार मौके के कब्जे अनुसार तकासमे मे दी गयी भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये विभाजन किया जाकर वादी का एवं प्रतिवादी सं01 ल0 4 का दर्ज जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार मौके के कब्जेनुसार अलहदा–अलहदा किया जाकर लगान की फाटबंदी करायी जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री फरमाया जाकर वादी के हिस्से मे बाद तकासमा जो आराजी आवे का तन्हा खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें । प्रतिवादीगण सं0 1 ल0 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे कि वह विवादग्रस्त आराजी मे बाद तकासमा जो आराजीयात वादी के हिस्सेनुसार कब्जे, काष्त उपयोग–उपभोग मे मजाहमत पैदा न करे न अन्य से करावे ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तामील जरिये पंजिकृत डाक तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री धीरेन्द्र सिंह उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1,3,4,5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इलियास बाबू उपस्थित।

प्रतिवादी सं0 1,3,4,5, द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः– मद नंबर 1 वाद पत्र मे वर्णित तथ्य सही है स्वीकार है। विवादग्रस्त आराजी खाता नंबर नया 384 पुराना 148 मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 97/25 रकबा 5.5638 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 कुल खसरे 1 कुल रकबा 5.5638 हैक्टेयर लगानी 8.57 वाके गाम कालख पटवार हल्का कालख,गि0ह0 कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे स्थित है जिसमे वादीया 4/11 हिस्से की एंव प्रतिवादी नंबर 1 अप्रितम का हिस्सा 1/8 एंव प्रतिवादी नंबर 2 दशरथसिंह का हिस्सा 2/11, प्रतिवादी नंबर 3 बबीता चौधरी का हिस्सा 2/11 प्रतिवादी नंबर 4 हरदयाल कन्सट्रक्शन 13/88 हिस्से के सयुंक्त रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वादीया 4/11हिस्से की एंव प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 4 उपरोक्त हिस्सेनुसार संयुक्त रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार है। और पारस्परिक सहमति से हिस्सेनुसार मौके पर पारस्परिक सहमति से मनबट अनुसार विभाजन कर अपने अपने हिस्से पर काविज काश्त चले आ रहे है। पक्षकारान मौके पर पारस्परिक सहमति से मनवट अनुसार किये गये विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक कोई कब्जा नही करना चाहते है। मौके के कब्जेनुसार विभाजन किये जाने मे मिनप्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। विवादग्रस्त आराजीयात वर्णित पेरा नंबर 1 वाद पत्र खाता नंबर नया 384 पुराना 148 मे वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 97/25 रकबा 5.5638 हैक्टेयर किस्म बंजड 1 कुल खसरे 1 कुल रकबा 5.5638 हैक्टेयर लगानी 8.57 वाके गाम कालख पटवार हल्का

सत्यमेव जयते
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

कालख,गि0 ह0 कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर मे वादी एंव प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 का चालु जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार मौके के कब्जे अनुसार तकासमे मे दी गयी भूमि मे आने जाने का रास्ता कायम करते हुये विभाजन किया जाकर वादी का एवं प्रतिवादी सं01 ल0 4 का दर्ज जमाबंदी मे दर्ज हिस्सेनुसार मौके के कब्जेनुसार अलहदा–अलहदा किया जाकर लगान की फाटवंदी करायी जाकर नक्शे कुरेजात मंगवाये जाकर दावा वादी अंतिम डिक्री फरमाये जाने मे मिनप्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

प्रतिवादी सं0 2 द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैः–
प्रतिवादी सं0 2 ने उक्त खसरा सं0 97/25 में से 4 बीघा भूमि प्रतिवादी सं0 5 को बेचान कर दी तथा शेष भूमि में से 17 बीघा 10 बिस्वा भूमि श्रीमती सोनी देवी पत्नी हनुमान गोलाडा एवं श्रीमती प्रेम देवी पत्नी प्रमोद गोलाडा को बेचान कर दी। उक्त खसरा सं0 97/25 में से शेष बची 10 बिस्वा भूमि लालाराम तेतरवाल पुत्र श्री गुल्लाराम को बेचान कर दी। अतः प्रतिवादी सं0 2 के नाम वर्तमान में उक्त खसरा में कोई भी हक हिस्सा शेष नहीं होने के कारण मिन प्रतिवादी सं0 2 का नाम उक्त खसरे से विलोपित किया जावे।

अधिवक्ता वादीया ने वाद को प्राथमिक डिक्री किए जाने का निवेदन किया। वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी की प्रति पेश की। उपस्थित अधिवक्ता वादीया एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण तथा सरकार पैरोकार को सुना गया। अधिवक्ता वादीया ने प्रकरण को राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 के 18 से 21 के अनुसार प्राथमिक डिक्री किए जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। प्रतिवादी सं0 2 द्वारा अपने जवाबदावे के समर्थन में किसी प्रकार के दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं करने के कारण प्रतिवादी सं0 2 नाम राजस्व रिकार्ड में यथावत दर्ज रहेगा। वादीया का वाद राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं भूमि में जाने के रास्तों का प्रावधान रखते हुए तथा कब्जे–काश्त के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

जिसकी अनुपालना में तहसीलदार जोबनेर द्वारा दिनांक 04.05.2023 को कुरेजात रिपोर्ट न्यायालय में पेश की गयी।

1. वाद पत्र दिनांक 17.04.2023 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया गया तथा तहसीलदार जोबनेर से राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 अनुसार कुरेजात रिपोर्ट पत्रांक 1886 दिनांक 04.05.2023 से प्राप्त हुई।

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

08/06/2023
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

2. प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वादी एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा वाद को अंतिम डिक्री करने हेतु निवेदन किया गया।
3. बहस उभय पक्ष व पैरोकार सरकार को सुना गया।
4. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा मनन किया गया। मुताबिक वादीया एवं प्रतिवादी की ओर से नक्शें कुरेजात पर कोई आपति व्यक्त न करते हुए मुताबिक नक्शे कुरेजात वाद अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 बरवक्त कुरेजात मौके पर उपस्थित रहे। पत्रावली एवं नक्शे कुरेजात का अवलोकन किया गया तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत कुरेजात पर प्रतिवादीगण सं. 1, 3 व 4 द्वारा हस्ताक्षर किए गये है। बहस पर मनन किया गया। मनन् उपरान्त यह न्यायालय वादीया एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 व 4 की सहमति होने से वादीया का वाद अविभाजित सम्पत्ति होने से मुताबिक नक्शे कुरेजात अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझता है। मुताबिक नक्शे कुरेजात वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाता है।

–:क्रियात्मक आदेशः–

वादीया का वाद मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट अंतिम डिक्री किया जाता है। कुरेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहे। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकासमा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

वाकै ग्राम कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	अप्रतिम कुमार यादव पुत्र श्री अश्विनी कुमार यादव जाति अहीर सा. प्लॉट नं. 02, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर खातेदार	A/97/25 किता 01	0.6955 0.6955	बंजड 1 बंजड 1
2.	हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स एल. पी. जरिये डेसिग्रेटिड पार्टनर अश्विनी कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर सा. प्लॉट नं. 02, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर खातेदार	B/97/25 किता 01	0.8219 0.8219	बंजड 1 बंजड 1
3.	दशरथ सिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपुत सा. जोबनेर खातेदार हिस्सा 4/5 प्रेमदेवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट सा. गोलाडा की ढाणी मालीवाड पोस्ट कालवाड खातेदार हिस्सा 1/5	C/97/25 किता 01	1.2645 1.2645	बंजड 1 बंजड 1

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

4.	प्रेम देवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट सा. गोलाडा की ढाणी मालीवाडा पोस्ट कालवाड खातेदार हिस्सा 7/11, बबीता चौधरी पत्नि सत्येन्द्र सिंह जाति जाट सा. 1/305 एन ई बी विस्तार हाउसिंह बोर्ड अलवर खातेदार हिस्सा 4/11	D/97/25 किता 01	2.7819 2.7819	बंजड 1 बंजड 1

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2023 को टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

8/6/23

(अरूण कुमार जैन)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

आदेश 20 नियम 6–7 जाब्ता दिवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर** मुकाम **जोबनेर** जिला जयपुर व इजलास **श्री अरूण कुमार जैन आर.ए.एस.,**

प्रेमदेवी बनाम अप्रितम कुमार वगैरहा

वाद बाबत तकासमा आराजीयात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर– 17/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **श्री अरूण कुमार जैन आर०ए०एस०** व हाजरी श्री चंदन सिंह, विद्वान अधिवक्ता मिनजानिब मुदई व, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 2 श्री धीरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता वास्ते प्रतिवादी संख्या 1,3,4, व 5 श्री इलियास बाबू तथा सरकार पैरोकार मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री की जाती है कि वादीया प्रेमदेवी द्वारा प्रस्तुत दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा निम्न प्रकार से निर्णीत किया जाता है:–

वाकै ग्राम कालख तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1.	अप्रतिम कुमार यादव पुत्र श्री अश्विनी कुमार यादव जाति अहीर सा. प्लॉट नं. 02, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर खातेदार	A/97/25 किता 01	0.6955 0.6955	बंजड 1 बंजड 1
2.	हरदयाल कन्सट्रक्शन एण्ड प्रोजेक्ट्स एल.पी. जरिये डेसिग्रेटिड पार्टनर अश्विनी कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर सा. प्लॉट नं. 02, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर खातेदार	B/97/25 किता 01	0.8219 0.8219	बंजड 1 बंजड 1
3.	दशरथ सिंह पुत्र उदय सिंह जाति राजपुत सा. जोबनेर खातेदार हिस्सा 4/5 प्रेमदेवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट सा. गोलाडा की ढाणी मालीवाड पोस्ट कालवाड खातेदार हिस्सा 1/5	C/97/25 किता 01	1.2645 1.2645	बंजड 1 बंजड 1
4.	प्रेम देवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट सा. गोलाडा की ढाणी मालीवाडा पोस्ट कालवाड खातेदार हिस्सा 7/11, बबीता चौधरी पत्नि सत्येन्द्र सिंह जाति जाट सा. 1/305 एन ई बी विस्तार हाउसिंह बोर्ड अलवर खातेदार हिस्सा 4/11	D/97/25 किता 01	2.7819 2.7819	बंजड 1 बंजड 1

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत कुरेजात रिपोर्ट अनुसार आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। मुताबिक निर्णय पर्चा डिक्री मुर्तिब किया जाकर शामिल मिसल किया जावें। मुताबिक निर्णय तहसीलदार जोबनेर को तहरीर भेजी जावे। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेगें।

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

यह मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 08 माह 06 सन् 2023 को जारी किया गया।

वाद के खर्चे

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलाह	रूपया	पैसा
अर्जी दावा.......	04/—		स्टाम्प वकालतनामा....	04/—	
स्टाम्प वकालतनामा....	02/—		स्टाम्प वजह सबूत......		
स्टाम्प वजह सबूत......			महनताना वकील.......		
महनताना वकील.......			खर्चा गवाहान......		
खर्चा गवाहान......			फीस कमिश्नर......		
फीस कमिश्नर......			बाबत् इजराय		
बाबत् इजराय			हुक्मनामा......		
हुक्मनामा......			मुतफर्रिक.......	02/—	
मुतफर्रिक.......	04/—		मीजान.......		
मीजान.......					
कुल	10/—			06/—	

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का, चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

1. प्रेमदेवी पत्नि प्रमोद गोलाडा जाति जाट निवासी गोलाडा की ढाणी मालीवाड पो. कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राजस्थान।

—————— **वादीया**

बनाम

1. अप्रितम कुमार पुत्र अश्वनी कुमार यादव जाति यादव निवासी प्लॉट नंबर 2, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर राज0।
2. दशरथसिह पुत्र उदयसिंह जाति राजपूत निवासी जोबनेर तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।
3. बबीता चौधरी पत्नि सत्येन्द्रसिंह जाति जाट निवासी एन ईबी विस्तार हाउसिंग बोर्ड अलवर जिला अलवर राज0।
4. हरदयाल कंस्ट्रक्शंस एंड प्रोजेक्टस एल पी जरिये डेगिग्रेटिड पार्टनर अश्विनी कुमार यादव पुत्र वेदप्रकाश जाति अहीर यादव निवासी प्लॉट नंबर 2, गीजगढ विहार 22 गोदाम जयपुर जिला जयपुर राज0।
5. देवन आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति जरिये संयोजक प्रमोद गोलाडा निवासी गोलाडा की ढाणी मालीवाड कालवाड तहसील कालवाड जिला जयपुर राज0।
6. तहसीलदारजी तहसील जोबनेर जिला जयपुर राजस्थान।

———**प्रतिवादीगण**

अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जोबनेर जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर